

**राजस्थान सरकार**  
**मंत्रिमण्डल सचिवालय**

क्रमांक: प. 11(01)मंम / 2014

जयपुर, दिनांक: 11/12/17

—:- आज्ञा :-

इस सचिवालय की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 27.12.2016 द्वारा मंत्रिगण एवं राज्य मंत्रिगण को जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है, उक्त आज्ञा में माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अनुमति से एतदद्वारा निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:—

| क्र.सं | नाम                     | पद   | पूर्व में<br>आंवटित जिला | संशोधित<br>जिला |
|--------|-------------------------|--|--------------------------|-----------------|
| 16     | श्री श्रीचन्द्र कृपलानी | मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग | बून्दी                   | झौंगरपुर        |
| 24     | श्री ओटा राम देवासी     | राज्य मंत्री, गौपालन                               | झौंगरपुर                 | बून्दी          |

राज्यपाल की आज्ञा से,

पूर्ण  
(पवन कुमार गोयल)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
6. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
9. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
10. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
11. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव।
12. आयुक्तनदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, राजस्थान को प्रकाशनार्थ।
13. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर।
15. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
16. निदेशक, राजकाँप्प, को प्रतिलिपि संलग्न कर लेख है कि सामान्य प्रशासन विभाग/मंत्रिमण्डल सचिवालय की वेबसाइट में अपलोड कराये जाने की व्यवस्था करावें।
17. रक्षित पत्रावली।

(अनिल कुमार गुप्ता)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ प्रेषित है:—

1. निदेशक, हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान, राज्य लोक प्रशासन संरथान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।

शासन उप सचिव